वार्षिक रिपोर्ट २०१४–२०१५

अमन उत्तराखण्ड

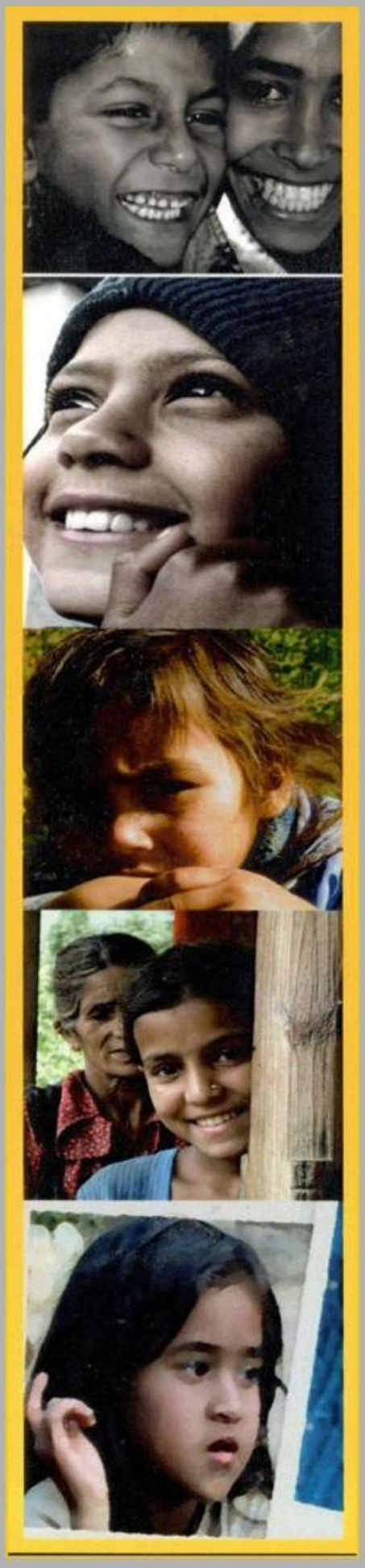

REGD.OFFICE

AMAN

HUSAIN MANZIL
NARSINGHBARI,ALMORA
263601-UTTRAKHAND

CONTACT OFFICE

AMAN

ISHAWARI BHAWAN
RANIDHARA ROAD
WEST POKHAR KHAU,ALMORA.
263601-UTTRAKHAND

Phone-91-05962-231182
Fax-91-05962-231182
E-mail-aman_uttrakhand@gmail.com

आमुख

समुदाय, कार्यकर्ता, बोर्ड, दाता संस्थायें, सहयोगी व शुभचिंतकों का सामूहिक प्रयास है कि, सामाजिक विकास की ओर हम अपने पंद्रह साल सफलता पूर्वक पूरे कर पाए। एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था के रूप में सन् 1999 में जो यात्रा कुछ साथियों के विचार के साथ शुरू हुई थी, वह इन वर्षो में एक सक्रिय संगठन के रूप में विकसित हुई है। बाल अधिकारों, पारिस्थितकीय बाल अधिकारों, शिक्षा, ग्रामीण आजीविका संवर्धन, आपदा प्रबंधन, जैसे मुद्दों के साथ कार्य करते हुए संस्था ने सहयोगियों एवं स्वयं सेवियों का व्यापक सम. र्थन हासिल किया है। सीमित आर्थिक एवं मानव संसाधनों के बावजूद सामाजिक सहयोग के दम पर हम अपने कार्यों को आगे बढ़ा पाए हैं।

इस वर्ष में संस्था ने ग्रासरूट स्तर पर अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया व हबालबाग ब्लॉक के गॉवों में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिस्थितिकीय बाल अधिकारों पर काम करते हुए ग्रामीण समुदाय के पलायन को कम करने के लिए कृषि आधारित कार्यक्रमों का भी संचालन किया। राज्य स्तर पर हर बच्चे को शिक्षा सुलभ कराने के लिए शिक्षा अधिकार कानून– २००९ को लागू कराने के लिए राज्य भर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों व शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर.टी.ई फोरम के माध्यम से जन जागरूकता और पैरवी का काम किया। बाल मजदूरी पर रोकथाम के लिए सी.ए.सी.एल के साथ भी सक्रियता बनी रही।

अमन का मानना है कि एक संस्था और संगठन अकेले समाज में व्यापक बदलाव नहीं ला सकते, जिसके लिए साझे प्रयासों की आवश्यकता होती हैं। इसी दृष्टि से अमन ने सन् २०१४–१५ में उत्तराखंड में राज्य बाल संरक्षण आयोग के सहयोग के साथ शिक्षा अधिकार कानून व बच्चों से जुड़े कानूनों पर भी जागरूकता बढ़ाने के कार्य किए। 'विमर्श' संस्था नैनीताल व हेस्कों संस्था देहरादून के साथ बच्चों की आवाज परियोजना एवं अमन – उत्तराखंड, भारत के २० लघु कृषक गांवों में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं टिकाऊ प्रयोग पर जिला नैनीताल एवं देहरादून के १५ गॉवों में कार्यक्रम का विस्तार प्रारम्भ किया है।

सहभागी सामाजिक विकास के लिए पारिस्थितकीय बाल अधिकार इस वर्ष के केन्द्र में रहे, हम उन सभी साथियों, संगठनों व लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग व समर्थन से हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा पा रहे हैं।

रघु तिवारी (प्रबंध न्यासी)

अमन अल्मोड़ा

अमन के बारें में

सतत सामाजिक/ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को सामाजिक समता की ओर बढ़ाने के लिए अमन औपचारिक रूप से स्वैच्छिक संस्था के रूप में १९९९ से कार्य कर रहा है। हालांकि अमन की शुरूआत सामाजिक क्षेत्र के कुछ अनुभवी साथियों द्वारा वर्ष १९९५ में की गई।

१० नवम्बर २००३ से संस्था एफ.सी.आर.ए अधिनियम १९७६ एवं २०११ के अंर्तगत पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य कर रही है। अपने जन्म से ही संस्था प्राकृतिक उपादानों के प्रबंधन व पहूँच में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सक्रिय रही है। संस्था सामाजिक असमानताओं व पर्यावरणीय संकटों के कारण हिमालयी आजीविका में जो संकट खड़े हुए उसके कारण उत्तराखंड के पर्वतीय भू–भाग से होने वाले पलायन के कारण बच्चों पर पड़ने वाले कुप्रभावों को रोकने के लिए कार्यरत है। पारिस्थितिकीय बाल अधिकार इसी विचार पर आधारित कार्यक्रम के रूप में उभर कर आया है।

दृष्टि और दिशा

संस्था निम्न दृष्टि और दिशा के रूप में सक्रिय है

दृष्टि (Vision)

समता पर आधारित समाज का निर्माण।

दिशा (Mission)

- प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर आम जनता की भागीदारी और नियंत्रण को बढ़ाना।
- समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को कम करने के लिए वंचित/पिछड़े/कमजोर और हाशिये पर खड़े लोगों को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाना।
- बाल अधिकारों पर समाज की संवेदनशीलता विकसित कर बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव और शोषण समाप्त करना।
- सामाजिक राजनैतिक विकास की प्रकियाओं में महिलाओं की भागीदारी और हस्तक्षेप को बढ़ावा देकर समाज में व्याप्त लिंगभेद और गैरबराबरी को कम करना।
- वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के प्रभावों के प्रति लोगों में चेतना पैदा करना

उद्देश्य एवं रणनीति

अपनी दृष्टि व दिशा को प्राप्त करने के लिए संस्था अपने उद्देश्यों के आधार पर रणनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करती है। २०१४–१५ में मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों पर कार्यक्रम केन्द्रित रहे।

- महिलाओं व बच्चों के पारिस्थितकीय अधिकारों पर क्षमता संवर्धन एवं पर्यावरण को बचाने हेतु खेती की पारंपरिक व नवीकरण तकनीकों को अपनाने के लिए समुदाय की जानकारी को बढ़ाना।
- उत्तराखंड के लघु कृषक समुदायों की जीवन परिस्थतियों व आजीविका में सुधार लाना एवं उनके पारिस्थितिकीय अधिकारों का सदृढ़ीकरण/क्रियांन्वयन करना।
- गरीब व अपवंचित बच्चों की षिक्षा को मजबूत करना एवं बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाते हुए उनका समग्र विकास करना।
- शिक्षा के अधिकार कानून के क्रियांन्वयन हेतु सामाजिक संगठनों के साझे प्रयासों को

मजबूत करना।

रणनीति सामुदायिक संगठनों के माध्यम से शैक्षणिक हस्तक्षेप

कार्यक्षेत्र अमन संस्था दो स्तर पर कार्य करती है।

१ ग्राम स्तर पर

२. विभिन्न सहयोगी संगठनों व नेटवर्कों के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर

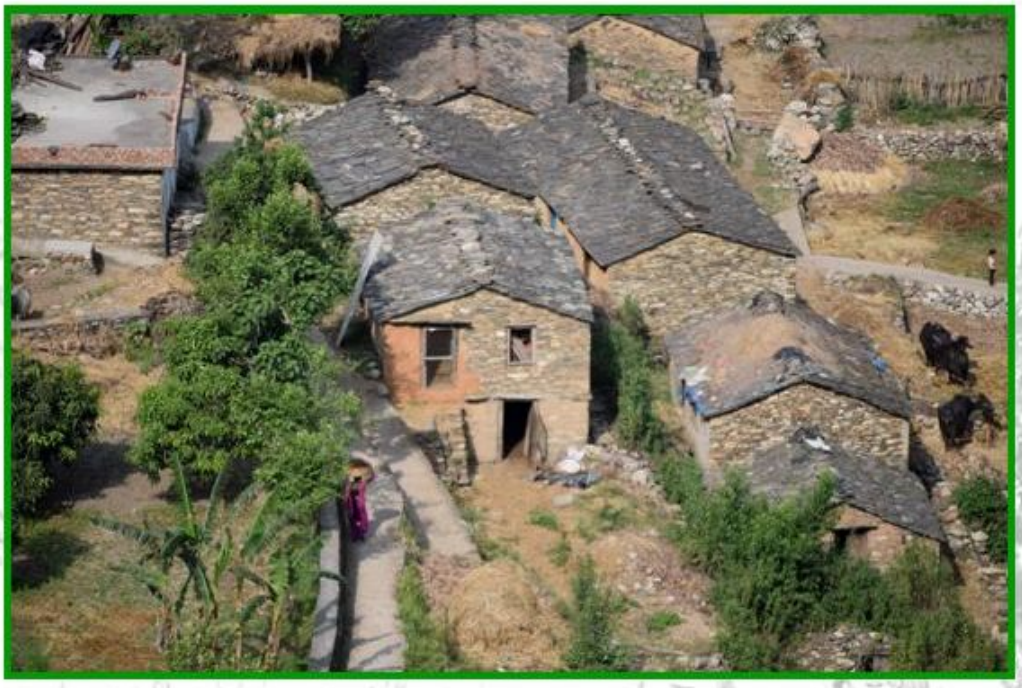

ग्राम स्तर पर वर्तमान में संस्था द्वारा अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया व हवालबाग ब्लाक के १७ गॉवों में सीधे समुदाय स्तर पर कार्य कर रही है।

व्यापक स्तर पर अमन का मानना है कि एक संस्था अकेले व्यापक सामाजिक बदलाव नहीं कर सकती। बदलाव के लिए साझे व सामुहिक प्रयासों की आवश्यकता होती हैं। अपने दृष्टि, दिशा व उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए समान विचार वाले संगठनों, व्यक्तियों के साथ साझे प्रयास में हम विश्वास रखते हैं। इसलिए संस्था विभिन्न नेटवर्कों व साझे कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर भी संचालित करती है। **उत्तराखंड आर.टी.ई फोरम, सी.ए.सी.एल,** के माध्यम से उत्तराखंड के १३ जिलों में संस्था कार्यरत है। नैनीताल जिले में विमर्श संस्था के साथ मिलकर बेतालघाट ब्लॉक के ५ गॉवों में देहरादून में हेस्को संस्था के साथ मिलकर रायपुर ब्लॉक के १० गॉव में भी संस्था व्यापक स्तर पर बदलाव की दृष्टि से कार्य कर रही है।

आयोजित गतिविधियां वर्ष २०१४–१५

अमन अपनी प्रकृति से एक शैक्षणिक संस्था के रूप में कार्य करती है। शिक्षा संस्था का एक केन्द्रीय विषय है। इस वर्ष संस्था ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए जहॉ एक ओर हबालबाग व चौखुटिया ब्लॉक में समुदाय स्तर कार्यक्रमों का संचालन किया वहीं उत्तराखंड आर.टी.ई फोरम के माध्यम से राज्य भर में शिक्षा अधिकार कानून २००९ को लागू करवाने के लिए जागरूकता एवं पैरवी का कार्य भी किया।

समुदायिक कार्यक्रम

शिक्षा केंद्र

अपवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ करवाने के लिए हबालबाग ब्लाक में ६ शिक्षा सहायता केन्द्रों का संचालन किया गया। इस वर्ष शिक्षा सहायता केन्द्रों के माध्यम से १४० बच्चों जिसमें ५६ लड़के व ८४ लड़कियों की शिक्षा को सुदृढ़ करने का कार्य किया गया। शिक्षा सहायता केन्द्रों में आने वाले बच्चों में से ७५ प्रतिशत बच्चे अनुसूचित जाति व गरीबी रेखा से नीचे जी रहे परिवारों से है। शिक्षा सहायता केन्द्र जहॉ एक ओर बच्चों के लिए शिक्षा को रोचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केन्द्रों होने वाली अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के समग्र विकास में भी योगदान दे रहे हैं।

इन केन्द्रों का प्रभाव रहा है कि इन गॉवों में पॉचवी व आठवीं के बाद विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है तथा विद्यालयों में भी बच्चों की उपस्थिति निरंतर बड़ी है, जिससे जैसा कि पूर्व में देखा गया था कि ग्रामीण परिवेश में बच्चे काम के समय में विद्यालयों में नहीं जाते थे तथा खेती व घरेलू कार्यों में मदद करते थे। लेकिन शिक्षा सहायता केन्द्रों से जुड़ने के बाद बच्चे अपने–अपने विद्यालयों में रूचि लेने लगे हैं तथा विद्यालयों की अन्य गतिविधियों से भी जुड़ने लगे हैं। नैनीताल जिले में विमर्श संस्था के सहयोग से ४ आगनबाड़ी सेंटर एवं ४ टयूशन सेंटर का संचालन भी ग्योपानी, गढ़खेत, ग्योनियाधार, पतुड़ी, खलाड़ व डोलकोट गॉवों में भी किया गया।

निर्धन छात्रवृत्ति शिक्षा सहायता

निर्धन छात्रवृत्ति के माध्यम से ऐसे बच्चों को जिन्हें संस्था द्वारा पुनः विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया है अथवा ऐसे बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तथा उनके विद्यालय छोड़ने की आशंका है, उन बच्चों की शिक्षा को जारी रखने के लिए अमन द्वारा फेलोशिप प्रदान की जाती है, जिसके तहत आठवीं तक के बच्चों को उनकी आवश्यकतानुसार कापियां, बैग, स्कूल ड्रेस तथा नौवी से बाहरवीं तक के बच्चों को स्कूल फीस, पाठन–पाठन सामग्री व स्कूल ड्रेस प्रदान की जाती है। इस वर्ष हबालबाग ब्लॉक के रणखीला, डांगीखोला, पठयूरा, गल्ली बस्यूरा, श्रीनगरा, गैलेख व सिलानी गॉव से ३० बच्चों को फेलोशिप प्रदान की गई। फेलोसिप के माध्यम से उक्त गॉवों में ऐसे बच्चे जो

गरीबी के कारण विद्यालय छोड़ दे रहे थे, वे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े हुए है।

महिला साक्षरता

महिलाओं को साक्षर करने के लिए भी संस्था द्वारा गल्ली बस्यूरा व रणखीला गॉव में दो से तीन माह का साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ११ महिलाओं को साक्षर किया गया। यह साक्षरता शिविर एक कार्यकर्ता व बच्चों की सहायता से आयोजित किया गया, जिसे ''एक पढ़ाये एक के नारे'' के साथ शुरू किया गया।

कम्प्यूटर साक्षरता

माह नवम्बर से संस्था द्वारा ग्रामीण कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम की शुरूआत की गई है, जिसके माध्यम से बच्चों के बीच कम्प्यूटर के तकनीकी ज्ञान व इसके प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में हबालबाग ब्लॉक के गोविंदपुर क्षेत्र में अमन द्वारा नि:शुल्क कम्प्यूटर कोर्स संचालित करने की शुरूवात की गई है। वर्तमान में १४ से २० वर्श के २३ बच्चे ग्रामीण कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम के तहत तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।

सामुदायिक पुस्तकालय

सामुदायिक पुस्तकालय कार्यक्रम के तहत अमन द्वारा बच्चों तथा समुदाय के बीच सूचनाओं और जानकारी के प्रचार प्रसार और रूचिपूर्ण तरीके से उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए २० पुस्तकालयों का संचालन किया जा रहा है। १० पुस्तकालयों का संचालन अल्मोड़ा जिले में सीधे एवं १० पुस्तकालयों का संचालन विमर्श संस्था के साथ मिलकर नैनीताल जिलें में किया जा रहा है। इन पुस्तकालयों का उद्देश्य ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक बाल सुलभ साहित्य को उपलब्ध करवाना एवं बच्चों की पहॅूच दैनिक अखबार, मनोरंजन, व ज्ञानवर्धक पुस्तकों तक पहॅूचाना है। यह पुस्तकालय गॉवों के ही युवा व महिलाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, जिसे समुदाय की मदद से संचालित किया जा रहा है। मासिक बैठकों के माध्यम से पुस्तकालयों की देखरेख व किताबों की मांग व उनकी आपूर्ति को तय किया जाता है। इन केंद्रों में उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों को बच्चे पुस्तकालय में नियमित तौर पर पढ़ते है साथ ही घर भी ले जाते हैं। क्षेत्रों से लगे हुए विद्यालयों से जुड़े अध्यापक व बच्चे भी पुस्तकालयों को प्रयोग करते हैं। वर्तमान में सीधे ७०० बच्चों के साथ–साथ २०० से अधिक वयस्क महिला–पुरूष भी इन पुस्कालयों के साथ जुड़े हुए है, जो पुस्तकालयों का प्रयोग नियमित तौर पर कर रहे हैं। इस वर्ष भी पुस्. तकालयों के लिए किताबें नेशनल बुक ट्रस्ट से खरीदी गई तथा अन्य साथियों की मदद से भी पत्र–पत्रिकायें पुस्तकालयों तक पहॅूचाई गई।

शैक्षणिक जागरूकता

शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए बच्चों व समुदाय के साथ निम्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों में कल्पनाशीलता व रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए अल्मोड़ा जिले के गोविंदपुर क्षेत्र में एक बाल मेले का आयोजन किया गया। यह मेला बाल अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार पर केन्द्रित रहा, जिसमें १३० बच्चों ने भागीदारी की। बाल मेले में बच्चों के साथ विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं जैसे भाषण, कविता पाठ, क्विज, चित्रकला, गायन इत्यादि का आयोजन भी किया गया। बाल मेले के माध्यम से अन्य गॉवों से आए बच्चों ने अपने बाल संगठन के कार्यो को भी एक दूसरे के साथ साझा किया।

- इस वर्ष में आयोजित **शैक्षिक भ्रमण** कार्यक्रम के तहत दो शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें अल्मोड़ा जिले के हवालबाग जनपद से ६० बच्चों को अल्मोड़ा रेडियो स्टेशन, चिडियाघर, जिलाधिकारी कार्यालय का भ्रमण कराया गया। अल्मोड़ा रेडियों स्टेशन में बच्चों के कार्यक्रमों की रिकार्डिंग भी की गई, जिनका प्रसारण भी रेडियो स्टेशन द्वारा किया गया।
- युवाओं के बीच **कैरियर काउंसलिंग** कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसके तहत भविष्य के लिए कैरियर काउंसिलिंग के तहत रोजगार के विभिन्न अवसरों की जानकारी भी प्रदान की गई, जिससे ४५ युवा लाभांवित हुए।
- अमन संस्था द्वारा **६ बाल संगठनों का** निर्माण किया गया है, वर्तमान में संगठन के साथ १७६ बच्चे जुड़े हुए हैं। बच्चों में **बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार कानून २००९, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सफाई, रेड हेंड केंपेन** इत्यादि विषयों पर मासिक बैठकों का अयोजन किया गया। बैठकों के माध्यम से विभिन्न विषयों पर बच्चों को जागरूक करने का कार्य किया गया तथा बाल संगठनों की सामुहिक बैठकों का आयोजन भी संस्था द्वारा किया गया।
- **बाल अधिकारों व शिक्षा** पर समुदाय को जागरूक करने एवं संवेदित करने के लिए महिला संग. ठनों का गठन चौखुटिया व हबालबाग में किया गया है। महिला संगठनों के साथ भी बच्चों की शिक्षा व बाल अधिकारों के मुद्दे पर ग्राम्य स्तरीय व सामुहिक बैठके आयोजित की गई, जिसमें ग्राम्य व क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी रही।

उक्त सभी कार्य नैनीताल जिले के बेताघाट ब्लाक में विमर्श संस्था के सहयोग से आयोजित किए गए।

पैरवी व नेटवर्किंग

शिक्षा अधिकार अभियान

ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा को मजबूत करने एवं निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून २००९ के क्रियांन्वयन के लिए चौखुटिया व हबालबाग ब्लाक में सघन रूप से शिक्षा अधिकार अभियान का संचालन किया गया, जिसके तहत विद्यालय प्रबंध समितियों के साथ बैठक, अध्यापकों के साथ शिक्षा संवाद एवं समुदाय के साथ शिक्षा संवाद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अभियान में क्षेत्र के १५ स्कूलों तथा आसपास के गांवों में इन विषयों पर जनजागरूकता पैदा की गई। शिक्षा अधिकार अभियान के तहत इन क्षेत्रों से बच्चों की शिक्षा संबंधित परिवेदनाओं (Grevences) को भी एकत्रित किया गया। १ मार्च २०१५ से ३१ मार्च २०१५ तक उत्तराखंड में शिक्षा के अधिकार अभियान को आयोजित करने में संस्था द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी। यह अभियान उत्तराखंड राज्य के ११ जिलों (अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिहनगर, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, पौढ़ी एवं देहरादून) में सघन रूप से आयोजित किया गया। जबकि अभियान

अपनी उपस्थित दर्ज करवाने में उत्तराखंड के में सफल रहा। शिक्षा का अधिकार अभियान में विभिन्न सामाजिक संगठनों व संस्थाओं जैसे विमर्श नैनीताल, ग्राम्य पर्यावरण एवं शिक्षण समिति चमोली, हिमाद चमोली, आगाज फाउंडेशन चमोली, डालियों का दगड़या श्रीनगर गढ़वाल, अमन संस्था, अल्मोड़ा, जन सरोकार मंच द्वाराहाट अल्मोड़ा, सीड संस्था द्वाराहाट अल्मोड़ा, गेवाड़ महिला संगठन चौखुटिया अल्मोड़ा, टी.ई.ए.एम पिथौरागढ़, ग्रावीस पिथौरागढ़, माउट वैली, टिहरी, उत्तराखंड जन जागृति संस्थान टिहरी, यू.डी.आई चंपावत, सुन्दर ट्रस्ट चंपावत, जन जागृति समिति सितारगंज,महिला समाख्या देहरादून, सोसायटी फॉर इन्वायरजमेंट एंड डेपलपमेंट देहरादून, पर्वतीय बाल मंच देहरादून, भुवनेश्वरी महिला आश्रम उत्तरकाशी, सासा देहरादून, वी.जी.वी.एस देहरादून, जन अभियान ऋषिकेश, मॉ मानव सेवा समिति बागेश्वर के साथ–साथ उक्त जिलों के विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों, प्राईमरी शिक्षक संघ, जूनियर शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों, सितारगंज साक्षर भारत के प्रतिनिधियों, सतत एवं प्रौढ़ शिक्षा विभाग गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा शिक्षा विभाग के सी.ई.ओ, बी.ई ओ. सी.आर.सी कार्डिनेटर, बी.आर.सी कार्डिनेटर, जिला कार्डिनेटरों ने भी भागीदार कर अभियान को सफल बनाया।

शिक्षा के अधिकार अभियान ने पूरे प्रदेश में आर.टी.ई के पॉच वर्ष पूरे होने पर स्कूली शिक्षा के लिए नागरिक मॉग के आधार पर सरकार से कानून का सार्थक क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाने की मांग की जिसके बाद राज्य के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षकों, प्रशासन एवं नागरिक समाज के बीच शिक्षा के अधिकार कानून के सभी प्रावधानों को लागू करवाने के लिए एक बहस शुरू हुई है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में शिक्षा के अधिकार पर सतत मूल्यांकन प्रक्रिया, कारपोरल पनिसमेंट, प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्तियां एवं स्थायी नियुक्तियां, शिक्षकों के प्रशिक्षण, प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी, बच्चों की सरकारी विद्यालयों में घटती संख्या व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर एक नई बहस शुरू हुई है, जिसे प्रदेश, के अंदर शिक्षा के अधिकार को मजबूती प्रदान करने का पहला कदम माना जा सकता है। इन सारी प्रक्रियाओं को देखते हुए प्रदेश के अंदर मीडिया भी शिक्षा के अधिकार के प्रश्न पर सक्रिय हुआ है तथा मीडिया द्वारा शिक्षा के प्रश्नों को यथासम्भव स्थान प्रदान किया गया।

शिक्षक संवाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ को क्रियांन्वित करवाने में शिक्षकों की भूमिका बढ़ाने एवं उन्हें जबाबदेह बनाने के लिए ८ शिक्षक संवादों का आयोजन सितारगंज, अल्मोड़ा, पिथौरागढ, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, ऋणिकेश, एवं श्रीनगर में किया गया। शिक्षक संवादो को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के बीच में आर.टी.ई के सभी प्रावधानों पर दृष्टिकोण निर्माण तथा सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की समस्याओं पर समाज का ध्यान केन्द्रित करना था जिससे गुणवत्तपूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। शिक्षक संवाद के माध्यम से राज्य के ४१७ अध्यापक/अध्यापिकाओं के मध्य संवाद स्थापित हुआ।

शिक्षा संवाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ को क्रियांन्वित करवाने में विद्यालय प्रबंध समितियों, पंचायत प्रतिनिधियों व नागरिक समाज को जागरूक करने, सवंदेनशील करने, विद्यालयों के प्रबंधन में उनकी भूमिका बढ़ाने एवं उन्हें जिम्मेदार बनाने के लिए ७ शिक्षा संवादों का आयोजन अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, टिहरी एवं उत्तरकाशी में किया गया, जिसमें एस.एम.सी.सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों, अध्यापको, एवं संस्थाओं व संगठनों के लोगों ने भागीदारी की। शिक्षा संवादों की मुख्य चर्चा वर्तमान परिदृश्यों में आर.टी.ई. एक्ट और इसके क्रियान्वयन की धरातलीय स्थिति, समान शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा व्यवस्था में समुदाय की भागीदारी और भूमिका, शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति जैसे विषयों पर केन्द्रित रही। शिक्षा

संवाद ५०० लोगों तक अपनी पहुँच बनाने में सफल रहा।

प्रेस वार्ताएं एवं हस्ताक्षर अभियान

जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों की प्रेस रिपोर्ट के साथ ही प्रेस वार्ताएं भी आयोजित की गई है, इसके लिए स्थानीय सदस्यों द्वारा जिम्मेदारी निभाई गई। १० जिलों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, उधमसिहनगर, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून एवं पौढ़ी जिले में स्कूली शिक्षा के लिए नागरिक मांग पत्र के आधार पर हस्ताक्षर अभियान संचालित किया, जिसमें जिला स्तरों से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे गए।

राज्य स्तरीय शिक्षा संवाद

१८ मार्च को राज्य स्तरीय शिक्षा संवाद का सफल आयोजन देहरादून में किया गया। राज्य स्तरीय शिक्षा संवाद में अल्. मोड़ा, रूद्रपयाग, उत्तरकाषी, नैनीताल, उधमसिहनगर, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली, हरिद्वार एवं देहरादून से आए प्रतिनिधियों के साथ ही शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों–राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, डारेक्टर महिला समाख्या, प्रतिनिधि हेमवती नंदन बहुगुणा श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, के साथ–साथ विद्यालय प्रबंध समितियों से जुडे प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों कुल ८६ प्रतिभागियों ने भागीदारी की। राज्य स्तरीय शिक्षा संवाद में मुख्यत: शिक्षा का अधिकार कानून के ५ वर्ष और शिक्षा की चुनौतियां, शिक्षा का परिदृश्य और शिक्षा का अधिकार, उत्तराखण्ड राज्य में आर० टी० ई० एक्ट की क्रियान्वयन की स्थितियां, समान शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल, अध्यापकों का प्रशिक्षण, आर० टी० ई० को लेकर अभिभावक विद्यालय प्रबंध समिति शिक्षकों के बीच जागरूकता निर्माण, व्यापक एवं सतत मूल्याकंन, शिक्षा का निजीकरण और इसके जोखिम, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थितियां एवं महिला शिक्षा जैसे विषयों पर व्यापक विमर्श हुआ। राज्य स्तरीय शिक्षा संवाद में फोरम के माध्यम से मांग की गई कि

- शिक्षा अधिकार कानून के सभी प्रावधानों को लागू किया जाए ताकि शिक्षा अधिकार कानून २००९ का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।
- स्कूल के दायरे से बाहर सभी बच्चों की गांव से प्रदेश स्तर तक पहचान करते हुए उनके विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि २०१५ में उनका स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित हो सके।

- शिक्षा अधिकार कानून २००९ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ढांचागत सुविधाएं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, सहयोगी ढांचें की स्थापना की जाए।
- शिक्षा के लिए कुल सकल घरेलू उत्पाद का छः फीसदी हिस्सा दिया जाए।
- अभिभावकों का सशक्तीकरण करते हुए उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाएं।

परिवेदना निवारण (ग्रीवेंसेज)

उत्तराखंड आर.टी.ई फोरम के माध्यम से उत्तराखंड में शिक्षा के अधिकार पर लिखित और छायाचित्रों के साथ शिकायत एकत्र की गई हैं जो कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, उधमसिह नगर, टिहरी, एवं चमोली, जिलों में सघन रूप से किया गया। जिसमें २५८ ग्रीवेंसज को एकत्र कर जिला तथा राज्य स्तर पर परिवेदना निवारण प्रक्रिया में डाला गया है। मुख्यतः विद्यालयों में ढांचागत सुविधाओं –भवन, क्रियाशील शौचालय, लड़कियों के लिए अलग शौचालायों का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, चाहरदिवारी, खेल का मैदान तथा शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों की विद्यालय मे उपस्थिति, छात्र–शिक्षक अनुपात, गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को लगाना आदि विषयों ग्रीवेंसेज आई हैं।

रेडियो अभियान

रेडियो अभियान के माध्यम से उत्तराखण्ड शिक्षा अधिकार अभियान को गति प्रदान की गई। रेडियो अभियान के लिए मंदाकिनी की आवाज सामुदायिक रेडियो, कुमाऊंवाणी सामुदायिक रेडियों, आकाषवाणी अल्मोड़ा को चयनित किया गया तथा इन रेडियों प्रसारण के माध्यम से शिक्षा के अधिकार कानून और उसकी स्थिति पर कार्यक्रम आयेाजित किए गए। रेडियों अभियान के तहत अभियान के संदेश, रेडियो वार्ता, परिचर्चा, लघु नाटिका, एवं कार्यक्रमों पर रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण किया भी किया गया।

जन सुनवाई

२९ जून २०१४ को एक राज्य स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन भी किया गया जो इस पर केन्द्रित थी कि आपदाओं में जहां एक ओर परिवारों की आजीविका को नुकसान होता है। वही बच्चों के विकास के अधिकार– बच्चों की शिक्षा व खेल आदि को भी सीधा नुकसान पहुचता है, बच्चों की राजनैतिक प्रक्रिया में सीधी आवाज नही होने के कारण आमतौर पर राहत एवं पुर्नवास कार्यक्रमों में बच्चे और उनकी शिक्षा केन्द्र में नही आ पाती है। २०१३ के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर हेमंती नंदन बहुगुणा श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में आयोजित जन सुनवाई में २१ टेस्टमनी अपदाग्रस्त क्षेत्रों जिला रूद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली एवं अल्मोड़ा से रखी गई, जिसमें आपदा से प्रभावित हुए विद्यालयों की वर्तमान स्थितियों को रखा गया। ज्यूरी में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डा. वीरेन्द्र पैन्यूली, वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुरेश नौटियाल, प्रो. जे.पी. पचौरी,हें नं.ब.विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष समाज विज्ञान एवं समाज कार्य, डा. उमा मैथानी विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, श्री सुधीर भट्ट ब्यूरों चीफ ई.टी. वी. उत्तराखंड, डा. अरविंद दरमोड़ा सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहें।

पारिस्थितिकीय बाल अधिकार

पारिस्थितिकीय बाल अधिकार एक नवीन अवधारणा है, जिसे मानव अधिकारों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। पारिस्थितकीय बाल अधिकार की अवधारणा में यह बात निहित है कि दुनियॉ का पर्यावरण और पारिस्थितकीय तंत्र के संतुलन से बच्चों के अधिकार जिस भी परिस्थिति में हों, लेकिन यदि यह संतुलन किसी कारण असंतुलित होता है तो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला वर्ग बच्चों का ही होता है। जिसमें बच्चेां के प्रमुख चार अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्लेाबल वार्मिग व पर्यावरणीय व पारिस्थितकीय अंसतुलन चाहे जिन भी कारणेां से हों, बच्चों के अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं। यदि बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है तो पारिस्थितकीय संतुलन उसकी अनिवार्य शर्त है। चौखुटिया क्षेत्र के रामगंगा नदी के जलागम क्षेत्र में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बसे परियोजना के गॉवों में पारिस्थितकीय असंतुलन के प्रभाव बहुत स्पष्ट दिखाई देते है। पर्यावरणीय संकट के कारण बच्चों के जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा व सहभागिता के अधिकारों का हनन एक प्रतिफल के रूप में दिखाई पड़ रहा है। बच्चों के पारिस्थितकीय अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अमन संस्था ने वर्ष २०१४–१५ में चौखुटिया ब्लाक के दस गॉवों में निम्न कार्यक्रमों गतिविधियों का संचालन किया।

समुदाय स्तर पर

ग्रीन क्लब

वर्ष २०१४–१५ में पारिस्थितकीय अधिकारों पर जानकारी व जागरूकता बढ़ाने हेतु ग्रीन क्लब एक महत्वपूर्ण सामुदायिक संगठन के रूप में उभरा है। यह २६३ बच्चों व युवाओं का ऐसा सामुदायिक संगठन है जो मुख्यत: जो प्राकृतिक उपादानों के संरक्षण व सवंर्धन के लिए कार्य कर रहा है। इस वर्ष ग्रीन क्लब की मासिक बैठकें आयोजित की गई। तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला व ग्रीन फैस्टिविल– वृक्ष मित्र मिलन समारोह के माध्यम से ग्रीन क्लब सदस्यों की जानकारी के संवर्द्धन का कार्य भी किया गया।

प्राकृतिक उपादानों के महत्व और उसकी उपयोगिता को लेकर भी ग्रीन क्लबों ने जल, जंगल, जमीन के संरक्षण को लेकर पहल की। ग्रीन क्लबों द्वारा विगत में किये वृक्षारोपण का निरीक्षण कर वृक्षारोपण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और चर्चा के आधार पर आगामी रणनीति तय की गई। इस बीच विभिन्न पारिस्थिकीय संकटो पर चर्चा और निदान तक पहुंचने की कोशिशें भी लगातार चलती रही।

चौखुटिया विकास खण्ड में समुदाय के पारिस्थिकीय अधिकारों के सुनिश्चितिकरण कार्यकम के तहत १० गावों में पारिस्थितिकीय असंतुलन को कम करने के लिए बच्चों व युवाओं ने मिलकर वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया है। वृक्षारोपण सफल हो सके इसके लिए पिछले वृक्षारोपण का निरीक्षण

पारिस्थितिकीय बाल अधिकार

पारिस्थितिकीय बाल अधिकार एक नवीन अवधारणा है, जिसे मानव अधिकारों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। पारिस्थितकीय बाल अधिकार की अवधारणा में यह बात निहित है कि दुनियॉ का पर्यावरण और पारिस्थितकीय तंत्र के संतुलन से बच्चों के अधिकार जिस भी परिस्थिति में हों, लेकिन यदि यह संतुलन किसी कारण असंतुलित होता है तो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला वर्ग बच्चों का ही होता है। जिसमें बच्चेां के प्रमुख चार अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्लेाबल वार्मिग व पर्यावरणीय व पारिस्थितकीय अंसतुलन चाहे जिन भी कारणेां से हों, बच्चों के अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं। यदि बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है तो पारिस्थितकीय संतुलन उसकी अनिवार्य शर्त है। चौखुटिया क्षेत्र के रामगंगा नदी के जलागम क्षेत्र में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बसे परियोजना के गॉवों में पारिस्थितकीय असंतुलन के प्रभाव बहुत स्पष्ट दिखाई देते है। पर्यावरणीय संकट के कारण बच्चों के जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा व सहभागिता के अधिकारों का हनन एक प्रतिफल के रूप में दिखाई पड़ रहा है। बच्चों के पारिस्थितकीय अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अमन संस्था ने वर्ष २०१४–१५ में चौखुटिया ब्लाक के दस गॉवों में निम्न कार्यक्रमों गतिविधियों का संचालन किया।

समुदाय स्तर पर

ग्रीन क्लब

वर्ष २०१४–१५ में पारिस्थितकीय अधिकारों पर जानकारी व जागरूकता बढ़ाने हेतु ग्रीन क्लब एक महत्वपूर्ण सामुदायिक संगठन के रूप में उभरा है। यह २६३ बच्चों व युवाओं का ऐसा सामुदायिक संगठन है जो मुख्यत: जो प्राकृतिक उपादानों के संरक्षण व सवंर्धन के लिए कार्य कर रहा है। इस वर्ष ग्रीन क्लब की मासिक बैठकें आयोजित की गई। तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला व ग्रीन फैस्टिविल– वृक्ष मित्र मिलन समारोह के माध्यम से ग्रीन क्लब सदस्यों की जानकारी के संवर्द्धन का कार्य भी किया गया।

प्राकृतिक उपादानों के महत्व और उसकी उपयोगिता को लेकर भी ग्रीन क्लबों ने जल, जंगल, जमीन के संरक्षण को लेकर पहल की। ग्रीन क्लबों द्वारा विगत में किये वृक्षारोपण का निरीक्षण कर वृक्षारोपण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और चर्चा के आधार पर आगामी रणनीति तय की गई। इस बीच विभिन्न पारिस्थिकीय संकटो पर चर्चा और निदान तक पहुंचने की कोशिशें भी लगातार चलती रही।

चौखुटिया विकास खण्ड में समुदाय के पारिस्थिकीय अधिकारों के सुनिश्चितिकरण कार्यकम के तहत १० गावों में पारिस्थितिकीय असंतुलन को कम करने के लिए बच्चों व युवाओं ने मिलकर वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया है। वृक्षारोपण सफल हो सके इसके लिए पिछले वृक्षारोपण का निरीक्षण

और अध्ययन किया गया और विगत कमियां दूर की गई। जैविक और अजैविक कूड़े की समस्याओं और उसके प्रभावों पर लंबी चर्चा के बीच ग्रीन क्लबों द्वारा सभी १० गांवों में जैविक, अजैविक कूड़ा निस्तारण की प्रणाली विकसित करने की षुरूआत हुई है।

पारिस्थितिकीय शिक्षण केंद्र माह जनवरी से चौखुटिया विकासखण्ड के दस गांवों में पारिस्थितिकीय शिक्षण केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केंद्रों में बच्चें परिस्थितिकीय तंत्र, पर्यावरण बाल अधिकार, पारिस्थितिकीय बाल अधिकारों की जानकारी पाने के साथ ही अपनी सृजनात्मक और रचनात्मक क्षमताओं का विकास भी करते हैं। केंद्रों से जुड़े बच्चे गांव स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव में मदद करने के साथ ही विभिन्न परिस्थितियों संकटों पर जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं।

सामूहिक वृक्षारोपण अमन द्वारा ग्रीन क्लब के साथ–साथ महिला संगठनों व वन पंचायत प्रति. निधियों के साथ मिलकर भी सामूहिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पर्वतीय त्यौहार हरेले के दिन महिला संगठनों व पंचायत प्रतिनिधियों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया गया द तथा दस गॉवों में सामूहिक रूप से सांकेतिक वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के दौरान मुख्यत: चौड़ी पत्ती के चारा और फल प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया।

पर्यावरण संरक्षण रैलियां पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन क्लब के सदस्यों ने वृक्षारोपण, पॉलीथीन निस्तारण के लिए ४ जन जागरूकता रैली निकाली जिसमें १४८ बच्चों व युवाओं ने भागीदारी निभाई। इन रैलियों के माध्यम से पर्यावरण के वर्तमान परिपेक्ष्य को समझाते हुए नई पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने का आहवाहन किया गया।

आपदा प्रबंधन अमन का मानना है कि आपदाओं पर अंकुश लगाने और युवाओं को उनके प्रभावों से बचाने के लिए कदम उठाने के साथ–साथ युवाओं व बच्चों को इसके लिए तैयार किया जाए कि वे बेहतर ढंग से आपदाओं का सामना करने में सक्षम हों। इसी विचार के साथ माह अप्रैल में हवालबाग विकासखण्ड में विभिन्न गांवों में आपदा प्रबंधन को लेकर जानकारी और जागरूकता परक कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्थानीय युवाओं को आपदा से निपटने के लिए प्रषिक्षण भी आयोजित किया गया।

पैरवी, अभियान व नेटवर्किंग

वृक्ष मित्र अभियान अमन द्वारा वृक्षमित्र अभियान की शुरूवात २०१३–१४ में की गई है। वृक्षों कें संरक्षण के इन अभिनव प्रयास के तहत विद्यालयी बच्चों को वृक्षमित्र बनाने

हेतु प्रेरित किया जाता है। अभियान के तहत स्कूली बच्चे एक संकल्प पत्र भरने के साथ ही वृक्षों को मित्रता की डोरी भी बांधते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि हम जैव विविधता के सवंर्द्धन एवं अन्य लोगों को इस दिाा में जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध है। वृक्ष मित्र अभियान ने इस प्रयास को एक कदम आगे बढ़ाते हुए जन्मदिन पर वृक्षारोपण की शुरूआत की है। इसके तहत बाल संगठनों, ग्रीन क्लबों, पारिस्थितिकीय शिक्षा केंद्रों, पुस्तकालयों व संकल्प पत्र भरने वाले बच्चे अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण करते हैं और उन पेड़ों की देखभाल, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी लेते हैं। वर्तमान में ५००० हजार वृक्ष मित्र युवा व बच्चे बन चुके हैं।

उत्तराखंड युवा नेटवर्क

पारिस्थितिकीय बाल अधिकारों के मुद्दे को व्यापक स्तर पर उभारने के लिए संस्था प्रतिबद्ध है। वर्ष २०१४–१५ में उत्तराखंड युवा नेटवर्क का गठन संस्था द्वारा किया गया है, जिसमें चौखुटिया, हबालबाग, लमगड़ा, द्वाराहाट, धौलादेवी, बेतालघाट, भीमताल, बागेश्वर, चमोली एवं देहरादून से युवा जुड़े हुए हैं। २८ मई २०१४ को उत्तराखंड युवा नेटवर्क की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य से ४१ प्रतिनिधियों ने भागीदारी की । उत्तराखंड युवा ने. टवर्क से चयनित चार प्रतिनिधियों ने १ से ३ नवम्बर को आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय अधिकार सम्मेलन ''पारिस्थितिकीय अधिकार आज और कल'' में भी प्रतिभाग किया एवं पारिस्थितिकीय अधिकार पर बच्चों व युवाओं का मांगपत्र तैयार करने में भागीदारी की गई।

इस चार्टर के जरिए बच्चों ने स्थानीय एवं राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय तंत्रों की तेजी से बिगड़ती दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की है तथा यह मांग भी करी **हमारी वैधानिक एवं संस्थागत रूपरेखा में हमारे पारिस्थितिकीय अधिकारों का समावेश करना आवश्यक है**

नवम्बर माह में ही ग्रीन क्लब की एक प्रतिनिधि ने नेपाल में युवाओं के लिए आयोजित पारिस्थतिकीय अधिकार सम्मेलन में भाग लिया व भारत में युवा व बच्चों द्वारा बनाए गए मांगपत्र पर प्रस्तुतिकरण भी किया।

बाल अधिकारों के पच्चीस साल पूरे होने पर चौखुटिया ब्लाक के गोदी प्राईमरी विद्यालय मे युवा महोत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसमें १०० युवाओं ने भागीदारी की तथा पारिस्थितिकीय अधिकारों पर युवा व बच्चों के मांगपत्र पर हस्ताक्षर किए एवं बाल अधिकारों की सुनिश्चितता के लिए संदेश व ज्ञापन भी दिए।

शिक्षा के अधिकार का दायरा १८ वर्ष तक बढ़ाये जाने को लेकर अमन द्वारा सी०ए०सी०एल० के साथ मिलकर एक राज्यस्तरीय अभियान आयोजित किया गया। राज्य में कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं, बाल अधिकार कार्यकर्ताओं,नागरिक राज्य के लोगों के सहयोग से इस अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया गया।

कृषि/आजीविका

सामुदायिक स्तर पर

पर्यावरणीय व पारिस्थतिकीय असंतुलन एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि एवं आजीविका प्रभावित हुई है। अनियमित वर्षा, कृषि जोतों का छोटा आकार, जल संकट एवं अन्य कारणों से पर्वतीय कृषि संकट के दौर से गुजर रही है। कृषि एवं आजीविका संवर्द्धन के लिए ''अमन'' समुदाय स्तर पर कृषि और आजीविका के मुद्दे पर चौखुटिया के १० गॉव मेंसीधे सक्रिय रहा तथा देहरादून के १० गॉव में हेस्कों के माध्यम से सक्रिय रहा

परम्परागत बीजों का संरक्षण

१० बीज उत्पादक समितियों के माध्यम से चौखुटिया ब्लाक के गॉवों में परम्परागत बीजों का संरक्षण व आदान–प्रदान का कार्यक्रम संचालित हुआ, जिसके लिए महिला कृषकों को प्रशिक्षण एवं बीज बचाओं आंदोलन के साथ परम्परागत बीजों को बचाने का काम शुरू हुआ है। कुछ गॉव में कौढ़ी के बीज समाप्त हो चुके थे, वहॉ पुन: इसके बीजों का उत्पादन प्रारम्भ किया गया। परम्परागत व जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए चौखुटिया के दस गॉवों में बीज एवं उत्पादक समितियों का गठन किया गया है, जो सक्रिय रूप से कृशि एवं बीज संरक्षण के कार्यो में संलग्न हैं।

कम्पोस्ट पिट एवं वर्षा जल संग्रहण

परम्परागत कृषि को टिकाऊ बनाने के लिए कृषकों के लिए मॉडल के रूप में १० कंपोस्ट पिटों का निर्माण किया गया ताकि वे जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया को सीखकर खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ा सके और महिलाओं का कार्य बोझ कम हो सके। वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए एक गॉव में मॉडल के तौर पर एक बरसाती जल संग्रहण टैंक का निर्माण हुआ, जिसके माध्यम से २०००० लीटर बरसाती जल का संग्रहण किया गया।

हर्बल कीटनाशक एवं किचन गार्डन

रासायनिक कीट नाशकों एवं रासायनिक खादों के कुप्रभाव पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषकों के साथ गौ–मूत्र व जड़ी बूटियों से हर्बल कीटनाशक तैयार किए गए और इनके छिड़काव उत्पादन को बचाया गया। चार कृषकों के साथ सब्जी उत्पादन पर कार्य किया गया ताकि सब्जी उत्पादन को कृषक आजीविका के रूप में देख सके।

हाट आयोजन

ग्रामीण कृषकों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए चौखुटिया में हाट का आयोजन किया गया, जहॉ कृषकों ने अपने उत्पादों को खुले बाजार में बेचने की प्रक्रिया शुरू की है।

फल प्रसंस्करण फल प्रसंस्करण के माध्यम से भी आजीविका संवर्द्धन के प्रयासों को आगे बढ़ाया जा रहा है। चौखुटिया विकासखण्ड के महिलाओं की आय वर्द्धन के लिए स्थानीय स्तर पर फलों/फूलों से जूस निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। यह महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय का जरिया बना।

शैक्षणिक भ्रमण पर्वतीय परम्परागत एवं जैविक कृषि के प्रोत्साहन के लिए चौखुटिया विकासखण्ड और दौलाघट विकासखण्ड के कृषक प्रतिनिधियों को बीज बचाओ आंदोलन के कार्यक्षेत्र ग्राम जड़धार जिला टिहरी गढ़वाल का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया, जिसमें कृषकों ने परम्परागत बीजों का संरक्षण व उत्पादन के बारे में जानकारियां प्राप्त की। साथ ही कृषक प्रतिनिधियों ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के पर्वतीय परिसर रानीचौरी का भी भ्रमण किया, जहां उन्होंनें अनाज और सब्जी उत्पादन, किचन गार्डन के लिए जैविक खाद निर्माण, फसलों का जानवरों से बचाव करने के तरीके, पॉलीहाउस उत्पादन, सीड नर्सरी, बीज उत्पादन, वर्षा जल संरक्षण के प्रयासों को जाना और समझा।

महिला सशक्तीकरण

महिलाएं आर्थिक गतिविधियों के सक्रिय होने के वाबजूद परिवार की आर्थिकी एवं केन्द्र में नहीं दिखाई पड़ती। आज भी वह शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के समान अवसरों जैसी बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। लैंगिक भेदभाव और समाज का पुरूषवादी ढांचा उनको उनके मुददों, समस्याओं को बेहद असंवेदनशील तरीके से देखता है। जानकारी और जागरूकता के अभाव में महिलायें गैर बराबरी का आसान शिकार होती हैं। सामूहिक शक्ति के अभावों मे उनके लिए अपने मुददों को उठाना बेहद कठिन है। महिलाओं को संगठित करने व विमर्श की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अमन महिला संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है। गावं स्तर पर ये संगठन महिलाओं के लिए एक प्लेटफार्म है जहां पर वह अपने मुददों पर चर्चा के साथ ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए भी तैयार होती हैं।

सामुदायिक कार्यक्रम संगठनात्मक विकास और विस्तार एक सतत् रूप में चलने वाली प्रक्रिया है। इस वर्ष भी विभिन्न माध्यमों जैसे चर्चा, बैठक, प्रशिक्षणों के द्वारा संगठनात्मक विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी और नये सदस्यों को भी जोड़ा गया। महिला संगठनों के लिए बैठक एक नियमित कार्य है। इस वर्ष इन बैठकों में पंचायतों की भूमिका,

महिलाओं की भागीदारी और हस्तक्षेप, महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य , प्राकृतिक संसाधनो का प्रबंधन, संरक्षण, वन पंचायत, संगठनात्मक विकास व सक्रियता, पर्यावरणीय संकट और निदान , सरकारी योजनायें एवं लाभ जैसे मुददे प्रमुखता के साथ रहे। एक संगठन के रूप में अपने लक्ष्यों, रणनीति और गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए महिला संगठनों के बीच मूल्यांकन की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहती है।

इस वर्ष महिला संगठनों ने पंचायत की खुली बैठकों में महिलाओं की भागीदारी तय करने पंचायत के कार्यो ,योजनाओं हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये। महिलाओं की स्थानीय विकास प्रक्रिया में भूमिका स्पष्ट करते हुए महिला संगठनों नें विभिन्न सरकारी जन कल्याण कि योजनाओं का लाभ लेने मे मदद की। प्रजनन स्वास्थ्य को समझते हुए चिकित्सा के स्थानीय विकल्प के रूप में जड़ी–बूटियों के प्रयोग को बढावा देने के लिए संगठन आगे आये हैं। महिला संगठन ने जानकारी का प्रवाह बढाकर महिलाओं को घर से बाहर लाने विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संगठनो की बैठकों में भागीदारी तय करने का काम भी किया है। इसके द्वारा लैंगिक भेदभाव कम करने में भी मदद मिली है।
महिला संगठनों को इस वर्ष विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से लैगिक समानता, पंचायत, प्रजनन स्वास्थ्य, संगठनात्मक विकास और सक्रियता की गहन जानकारी दी गई। टीकाकरण, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पंचायती राज में भागीदारी आदि विषयों पर संगठनों की बैठके आयोजित की गई। इस वर्ष अल्मोड़ा जिले के कार्यक्षेत्र के गांवों में पॉच सामूहिक बैठकों में लिंग भेद, कन्या भ्रूण हत्या, पीसी पीएनडीटी एक्ट, जैसे विषयों पर चर्चा हुई। महिला दिवस की प्रासंगिकता को देखते हुए इस वर्ष भी विगत वर्षों की भॉति महिला दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां चौखुटिया व हबालबाग विकासखंड में महिला दिवस मनाया गया। पंचायतो को लेकर शुरू की गई पहल के परिणाम सामने आ रहे हैं आज पंचायत की खुली बैठकों में शामिल हो रही है, और महिलाओं के मुद्दों को उठा रही हैं।

वर्ष २०१४-१५ के दान दाता और सहयोगी

संस्थागत दानदाता

टी.डी.एच. जर्मनी
टी.डी.एच. जे.आई.पी. पूने
ट्रांस हिमालयन एड सोसायटी, कनाडा
आक्सफेम इंडिया
केयर नई दिल्ली

सहयोगी

टी.डी.एच., ऑक्सफेम, ट्रॉस, ग्लोबल हेल्थ इंनिसिएटिव, पीस नई दिल्ली, नेशनल आर.टी.ई फोरम, केयर नई दिल्ली, उत्तराखंड राज्य बाल आयोग, सी.ए.सी.एल, हिमाद, विमर्श, हेस्को, ग्रावीस, सीड सुनाड़ी, महिला एकता परिषद, ग्राम्य पर्यावरण शिक्षण समिति, डालियों का डगड़िया, सुन्दर ट्रस्ट, यू.डी.आई., जन जागृति संस्था , बाल विद्या मंदिर, आदि सभी संस्थाओं के सहयोग के लिए संस्था आभारी है। डा. जे.एस.मेहता, डा. जी.एस.रावत, प्रो. वीरेन्द्र पैन्यूली, डा. के.के.उप्रेती, डा. ए.पी.ध्यानी, सुरेश बलोदी, शैलेन्द्र कुमार, अमरीश राय, विनोद कुमार, केप्टन माधो सिह, बाला दत्त तिवारी, जसी राम, उमराव सिह नेगी, बहादुर राम, सुरेश नौटियाल, सावित्री भट्ट, सुमन कन्नोजिया, नरोत्तम जोशी, डा. रेखा जोशी, विनीता पाठक, आर.एस.बिष्ट, प्रेम सिह सनवाल, डी. के. कंसवाल, अरंय रंजन, कुसुम घिल्डियाल के भी आभारी हैं, जिनका मार्गदर्षन व सहयोग हमें प्राप्त हुआ। शर्मिष्ठा चौधरी, किशोर झा, सुरभि मालवीय, इंग्रिड मेंडोसा, सी.जे.जार्ज, डेफनी हॉल्स, विदेश कपूर, अनील चौधरी, डा. सिराज अनवर, संजीव सिह, श्हनाज परवीन के हम विशेष रूप से आभारी हैं, जिनके मार्गदर्शन से हम संस्थागत गतिविधियों को संचालित कर पाए।

अमन उत्तराखण्ड